**संख्या-514/2025/1348/25-27-सिं-4-78(डब्ल्यू)/2023**

**प्रेषक**

**रमा कान्त वर्मा,**
**संयुक्त सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

**सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक 10 नवम्बर, 2025**

**विषय: शारदा मुख्य नहर को दिनांक 10/11 नवम्बर 2025 की मध्य रात्रि से 30 नवम्बर 2025 की मध्यरात्रि तक नहर बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (अनु0 एवं मूल्यां0), सिंचाई एवं जल संशाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-548/अनु0 एवं मूल्यां0/सिनिक-19/नहर बन्दी, दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शारदा मुख्य नहर में आवश्यक अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु दिनांक 10/11 नवम्बर 2025 की मध्य रात्रि से 30 नवम्बर 2025 की मध्यरात्रि तक नहर बन्दी की अनुमति इस शर्त/प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि नहर बन्दी की अवधि में नहर का अनुरक्षण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जायेगा।

2. उक्त नहर बन्दी के विषय में उपलब्ध संचार/समाचार माध्यमों से स्थानीय कृषकों की जानकारी हेतु समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराते हुए उक्त से क्षेत्रीय मा0 सांसदगण, मा0 विधायकगण एवं अन्य मा0 जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाय।

**भवदीय**
**रमा कान्त वर्मा**
**संयुक्त सचिव।**

**संख्या-514/2025/1348 (1)/25-27-सिं0-4 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. मण्डलायुक्त, लखनऊ/बरेली, उ0प्र0।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ, बरेली, पीलीभीत, हरदोई, उन्नाव, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी।
7. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)/ प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता स्तर-1(रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 बरेली।
12. मुख्य अभियंता (अनु0 एवं मूल्यां0), सिंचाई एवं जल संशाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
13. मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक-12378/मुअशाब/नहर, दिनांक 08.10.2025 के सन्दर्भ में।
14. अधीक्षण अभियन्ता, पंचम मण्डल, सिंचाई कार्य, बरेली।
15. गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**
**जगराम यादव**
**उप सचिव।**